संख्या–भा.स. 53 / 14–2–2018–800(12) / 2018

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 04 अप्रैल, 2018**

विषय :– एटा में अलीगढ़–कानपुर सेक्शन राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–91 के किमी 186 से 229.000 तक 04 लेन चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण हेतु 65.495 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्षों व 858 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / यूपी / 06 / 12 / 2018 / एफसी / 04 दिनांक 02.04.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण को दिनांक 27.03.2018 को आहूत की गई क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में सम्मिलित किया गया था, जिसमें कतिपय आपत्तियां की गई है।

2– विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 02.04.2018 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की अपेक्षा के क्रम में क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक के उपयोगार्थ अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

Data D. SO.Nodal.GO